Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में फील्ड इंजीनियर एवं प्राईवेट व्यक्ति को 1 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बी.के.ई. एस.एल.) के फील्ड इंजीनियर नारायण व्यास एवं प्राईवेट व्यक्ति कन्हैयालाल हाल सी.पी.ए. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोटगेट बीकानेर को 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के व्यावसायिक परिसर से संबंधित सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वी.सी.आर.) की राशि कम करवाने की एवज में आरोपी नारायण व्यास फील्ड इंजीनियर बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बी.के.ई.एस.एल.) द्वारा 1 लाख 20 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस **अधीक्षक श्री रजनीश पूनियां** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये नारायण व्यास पुत्र श्री बाबूलाल निवासी दम्माणी चौक बीकानेर हाल फील्ड इंजीनियर बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बी.के.ई.एस.एल.) के द्वारा परिवादी से 1 लाख रूपये रिश्वत की राशि प्राप्त कर सहआरोपी कन्हैयालाल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद निवासी बारह गुवाड चौक, बीकानेर हाल सी.पी.ए. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोटगेट बीकानेर को दिलवाने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि कन्हैया लाल (प्राईवेट व्यक्ति) की जेब से बरामद हुई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।